SHRI PRASHANTA NANDA (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI MUZIBULLA KHAN (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SPECIAL MENTIONS

Demand for implementation of entitled financial aid to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under SC/ST (Prevention of Atrocities) Rules, 1995,as amended in 2016

श्री बृजलाल (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, केन्द्र की * सरकार ने 2016 में...

श्री सभापति: बृजलाल जी, यहां पर आपने मुझे जो लिखकर दिया है, वही पढ़ना है।

श्री बृजलाल: सर, मैं वही बोल रहा हूं। सभापति महोदय, केन्द्र की सरकार ने वर्ष 2016 में अनुसूचित जाति/जनजाति नियमावली, 1995 में संशोधन किया था जिसके तहत हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता की राशि चार गुना तक बढ़ा दी गई थी।

यह धनराशि एफआईआर पर 25 परसेंट, चार्जशीट पर 50 परसेंट और शेष 25 परसेंट मुकदमे में फैसले के आने के बाद देय है। हत्या के मामलों में आर्थिक सहायता, जो पहले मात्र तीन लाख रुपये होती थी, वह बढ़ाकर सवा आठ लाख रुपए कर दी गई थी, जिसमें 50 परसेंट पोस्टमॉर्टम होने पर और शेष 50 परसेंट मुकदमे में चार्जशीट प्रेषित करने पर देय है।

इसके अतिरिक्त यदि मृतक व्यक्ति घर का कमाने वाला है, तो उसकी विधवा/आश्रित को पांच हज़ार रुपए महीना पेंशन महंगाई भत्ते के साथ, बच्चों को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा छात्रावास की सुविधा के साथ, घर नहीं है, तो घर और घटना के दिन से तीन महीने तक पूरा घर का खर्च देय है। दलितों के अन्य 47 मामलों में भी इसी तरह से आर्थिक सहायता अनुमान्य है।

---

* Not recorded.

सभापति महोदय कई राज्य सरकारें अभी तक इसका पालन नहीं कर रही हैं, इसीलिए मैं आपके और सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार सभी राज्यों को इस नियम का पालन करने के लिए दिशा-निर्देश देने की कृपा करे, धन्यवाद।

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

डा. फौजिया खान (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री सुशील कुमार मोदी (**बिहार**): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्यों को इस बात से अवगत होना चाहिए कि जो आपने लिखकर दिया है, जिसे हमारे secretariat ने approve किया, secretariat मतलब मेरे द्वारा, वही सदन में पढ़ना है। आपको मालूम होगा, चेयरमैन के रूप में मेरा दायित्व बनता है - मैं देखता रहता हूं, मैं सुनता रहता हूं, इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आप लिखा हुए ही पढ़ें। यह केवल बृजलाल जी के लिए ही नहीं है, यह सबके लिए है। सब आपस में बात करने वाले -

पीयूष जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई बात करनी है, तो जाकर बात करके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।

THE MINISTER OF RAILWAYS; THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, I apologize. I should not have been talking. Actually we were discussing about the Sambalpur railway station.

MR. CHAIRMAN: Whatever it is. That can't be the reason. I have come across one problem. People wearing a mask think that they are talking in a low voice. यह हंसने की बात नहीं है। मैंने नोटिस किया है, इसलिए मैं observation बता रहा हूं। यह केवल मंत्री जी के बारे में नहीं है, यह सबके बारे में है। लोग सोच रहे हैं-- आवाज़ ठीक से नहीं जा रही है, इसीलिए लोग थोड़ा तेज़ी से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप नॉर्मली बोलें, मास्क पहन कर बोलें, आपकी जो आवाज़ है वह सदन में सभी तक जाएगी। इसलिए कृपया सब लोग - बहुत अनिवार्य है, कुछ urgent बात है, तो कृपया बाहर जाकर बात करें, अन्यथा हाउस में आपस में बात करना अच्छा नहीं है। इसका कारण क्या है? मेरी weakness है, मैं देखता हूं, सुनता हूं और पढ़ता हूं। Please take care. This is not with reference to any individual. श्री भास्कर राव नेक्कांति।

Demand for establishing a Government Medical College in Rayagada

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, my topic is regarding establishment of a Government medical college in Rayagada, a backward district in Odisha. Rayagada district is known as the most famous region of the State because of its longest human history. Although the district came into existence on the 2nd October, 1992, it has long and glorious historical records evident by copper plates, rock inscriptions as well as different coins, which clearly indicate that the region was the centre of attraction in all ages. Setting up a Government medical college in Rayagada is a long-standing demand of people of Rayagada and it will definitely help the nearby districts like Gajapati and Kandhamal, etc. Seventy per cent of the population of Rayagada district is from SC and ST community. They are totally dependent on Government hospitals. There is no nearby Medical College available for them. Rayagada is declared as a Left-Wing Extremist District. Rayagada is a befitting place strategically for the establishment of a medical college. It is now declared as a Railway Division and connected to all the metro cities of India by trains. It is surrounded by prominent corporate houses like Aditya Birla Group of Companies, JK Papers, IMFA, Vedanta, L&T, their ancillaries, etc. It has five nursing colleges, four engineering colleges, a pharmacy college, an agriculture college, five-diploma